FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

करना बनाम करीम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 24/16 सन् 2016

111, 128 RLR Act

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यायाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-02/16	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 02/03/16 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	61 15/02/16
02/03/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 21/06/16 को पेश हो। [initials]	
21/6/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कैम्पों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/09/16 को पेश हो। [initials]	

Scanned by CamScanner

14/09/16

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व के तामील शुदा प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी वकील बहस [illegible] करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/09/16 को पेश हो।

28/09/16

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं का ज्ञान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू. अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी नक्शामुताबिक मौके पर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

…ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/08/17	पत्रावली आज तलब की गई प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से पालना रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा तहसीलदार बायतु से प्राप्त पालना रिपोर्ट में दर्शाये गये बिन्दुओं को पुख्ता किये जाने का निवेदन किया गया। अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर तहसीलदार बायतु से प्राप्त प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर-371 नक्शे में दर्शाये गये बिन्दु संख्या 2,3,4,5,26,25, 24, 23, 32, 31, 30, 29, 28, 27 को पुख्ता किया जाता है। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2016 / 337

दिनांकः– 28/9/16

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. करना पुत्र राउ वगैरा 8 जाति ढाढी निवासी बोड़वा, तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. करीम पुत्र जीया वगैरा 15 निवासी बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 24 / 16

आदेश

खसरा नं. 371 रकबा 56.14 बीघा मौजा बोड़वा पटवार मण्डल बोड़वा भू अभिलेख वृत नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2016

दिनांक

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री करना पुत्र राउ वगैरा 8।
4. विप्रार्थी करीम पुत्र जीया वगैरा 15।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner